प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 09.02.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1.कविन्द्र कुमार पुत्र बदन सिंह 2. संजय शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा व 02-03 अज्ञात द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट बेच देना व प्लॉट का कब्जा ना देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 318(4),338, 336(3),340(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 08.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कविन्द्र पुत्र बदन सिंह निवासी सोनिया विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथी के साथ मिलकर वर्ष 2011 में 25 वर्गगज का एक आवासीय प्लॉट नसीब विहार ग्राम इलायचीपुर में क्रय किया था। यह प्लॉट हमने वर्ष 2011 में ही विक्रय कर दिया था। इसके बाद मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर दिनांक 02/12/2020 को 45 वर्गगज का प्लॉट दिखाकर वादी को विक्रय कर दिया था तथा वादी द्वारा प्लॉट व रूपये माँगने पर हमने न तो प्लॉट ही दिया था और न ही रूपये वापस किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

कविन्द्र पुत्र बदन सिंह निवासी सोनिया विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में वजन की हेरा फेरी करने में उपयोग में लाये गये 03 इलेक्ट्रोनिक चिप, 08 रिमोट व 12,650/- रुपये नगद बरामद।

दिनांक 08.02.2026 को वादी श्री आकाश त्यागी Asst. Manager - HR RSB Infratructure Pvt Ltd सैक्टर 11 D फरीदाबाद हरियाणा द्वारा अभियुक्त द्वारा कम्पनी से धोखाधडी कर धर्मकांटे पर वेब्रिज सिस्टम में इलेक्ट्रोनिक चिप्स/डिवाईस लगाकर सरीया चोरी करने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना वेवसिटी पर अभियोग मु0अ0सं0 032/2026 धारा 318(4)/306 BNS पंजीकृत किया गया। इनकी गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण -दिनांक 08.02.2026 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान तथा मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र घेराऊ प्रसाद निवासी ग्राम बदलेपुर थाना धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर उम्र 31 वर्ष —को अरबन होम्स से बम्हेटा शाहपुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में वजन की हेरा फेरी करने में उपयोग में लाये गये 03 इलेक्ट्रोनिक चिप, 08 रिमोट व 12,650 रुपये नगद बरामद किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं RSB INFRATRUCTURE PVT LTD में स्टोर इन्चार्ज का काम करता हूँ और पकडी गयी इन्हीं दोनो चिप व दोनो रिमोट की मदद से RSB INFRATRUCTURE PVT LTD में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे के बजन में हेरा फेरी करता हूँ। एक ट्रक में से एक बार में कम से कम 600-700 किलो लोहे का सामान बचा लेता हूँ जिससे करीब 40 से 50 हजार रुपया कमाता था और ये रूपये भी इसी काम से कमाये हुये रुपयो में से हैं और दिनांक 04/02/2026 की रात में धर्मकांटे में लगी पुरानी इलेक्टोनिक चिप को हटाकर दूसरी चिप लगायी थी तभी धर्मकांटे का गार्ड आ गया था तथा मेरे काम की पोल खुल गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

श्रवण कुमार पुत्र घेराऊ प्रसाद निवासी ग्राम बदलेपुर थाना धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर उम्र 31 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी संकलित की जा रही है।

बरामदगी-

कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में वजन की हेरा फेरी करने में उपयोग में लाये गये 03 इलेक्ट्रोनिक चिप, 08 रिमोट व 12,650 रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।